



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 24.03.2025

- महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की कड़ी कार्यवाही।
- थाना रनियां पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- थाना रनियां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2025 धारा 74/352/115(2) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)(W)(1) /3(1)(द) एससी/एसटी एक्ट में वांछित था अभियुक्त।

कृपया सादर अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रनियां पर मु0अ0सं0 41/2025 धारा 74/352/115(2) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)(w)(1)/3(1)द एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। थाना रनियां पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त को आज दिनांक 24.03.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर रायपुर-गजनेर रोड जग्गूपुरवा थाना क्षेत्र रनियां से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. रजोल त्रिवेदी पुत्र छंगा त्रिवेदी निवासी रुरवा थाना गजनेर कानपुर देहात।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 0041/2025 धारा 74/352/115(2) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)(w)(1) /3(1)द एससी/एसटी एक्ट थाना रनियां कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना रनियां पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री जयप्रकाश सिंह

2-हे0का0 10 संजय सिंह